दिनांक 20.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 20/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद बागपत/थाना बिनौली</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 19.05.2024 की रात्रि थाना बिनौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शेखपुरा के जंगल में पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुस्तकीम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिनौली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मेरठ, बागपत के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मुस्तकीम निवासी ग्राम खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हाथरस/थाना सासनी

•03 अभियुक्त गिरफ्तार

•चोरी की 07 दो पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 20.05.2024 को थाना सासनी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसगोई मोड के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–गुलशन 2–कैलाश 3–सूरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध मे थाना सासनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुलशन निवासी डौकी थाना डौकी कमिश्नरेट आगरा।

2–कैलाश निवासी ग्राम तुरी थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

3–सूरज निवासी रनसुरा थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–चोरी की 07 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद इटावा/थाना वैदपुरा

•02 अभियुक्त गिरफ्तार

•चोरी के 05 दो पहिया वाहन

•01 फर्जी नम्बर प्लेट

•01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनॉकः 19/20.05.2024 की रात्रि थाना वैदपुरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खेड़ा नहर पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1–प्रदीप कुमार उर्फ कल्लू 2–सरकेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 05 दो पहिया वाहन, 01 फर्जी नम्बर प्लेट, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप कुमार उर्फ कल्लू के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर लूट, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रदीप कुमार उर्फ कल्लू निवासी ग्राम भाऊपुरा थाना ऊसराहार जनपद इटावा।

2–सरकेश निवासी ग्राम चमरौआ थाना चौबिया जनपद इटावा।

बरामदगी

1–चोरी के 05 दो पहिया वाहन।

2–01 फर्जी नम्बर प्लेट।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद सोनभद्र/थाना रॉबर्ट्सगंज

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **102 ग्राम अवैध हेरोइन**
- **माल ब्रिकी के 27 हजार 600 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनॉकः 19.05.2024 को थाना रॉबर्ट्सगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1–बाबूलाल 2–अभिषेक कुमार उर्फ नान्हक 3–02 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 102 ग्राम अवैध हेरोइन, माल ब्रिकी के 27 हजार 600 रूपये आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बाबूलाल निवासी मनरहवा डिबुलगंज थाना अनपरा जनपद सोनभद्र।

2–अभिषेक कुमार उर्फ नान्हक निवासी ग्राम महुली थाना विढ़मगंज जनपद सोनभद्र।

3–02 अभियुक्ता।

बरामदगी

1–102 ग्राम अवैध हेरोइन।

2–माल ब्रिकी के 27 हजार 600 रूपये नगद आदि।

- **जनपद फतेहगढ़/थाना को0फतेहगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तो को आजीवन/08 वर्ष के कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना को0फतेहगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–प्रवेश को धारा 313/323/504/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 01 लाख 55 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–मनोज 3–सोनू उर्फ रत्नेश 4–विमल कुमार को धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 5–विष्णु को धारा 376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड एवं 6–अभियुक्ता को धारा 313 भादवि के अन्तर्गत 08 वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहगढ़/थाना को0मोहम्मदाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना को0मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–गुड्डू उर्फ सुखदेव 2–नन्हे उर्फ सत्यदेव 3–श्रीकृष्ण को आजीवन कारावास व 05–05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना खेजुरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 04–04 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना खेजुरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–श्याम बहादुर 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 04–04 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।